Schedule XLII-High Court No.(J) 9|Old(M)164|

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute Appeal Case No.- 48/2025]

Raja Bibhuti.....Appellant

Versus

The State of Bihar and Anr .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	01.3.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-09/2023-24 में दिनांक-20.2.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता पु0/नया	खेसरा पु0/नया	रकवा
मधेपुरा	मदनपुर/64	444/1027	3257/521	01 कट्ठा

दिनांक-13.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी की ओर से Written note of Argument दाखिल है।

अपीलार्थी का कहना है कि खाता नया-1027 का नया खतियान भुवनेश्वरी मंडल, लक्ष्मी मंडल, गांगो मंडल व भूलन मंडल, पे0-स्व0 अधिकलाल मंडल के नाम से अंकित है। जिसमें खेसरा नया-521 का कुल रकवा 03 एकड़ 80 डी. है। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन का क्रय विपक्षी द्वारा खतियानी रैयत या उनके वारीसान से नहीं की गयी है। बल्कि विपक्षी द्वारा फर्जी केवाला दस्तावेज बनाकर प्रश्नगत जमीन पर दावा किया जा रहा है। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा फर्जी केवाला के आधार पर विक्रय की गयी जमीन पर विपक्षी का हकियत कायम नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सिविल रिट याचिका- 11424/2023 में दिनांक-29.4.2024 को अंतिम आदेश पारित किया गया। जिसमें स्पष्ट निदेशित है कि सिविल न्यायालय मामलों के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकार है। उनका कहना है कि संबंधित जायदाद के विरूद्ध असैनिक न्यायाधीश वरीय कोटि प्रथम, मधेपुरा में अधिकार वाद संख्या-76/2023 लंबित है। तथा यह कि उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन अपीलार्थी के पिता-श्री सूर्यनारायण यादव के निज स्वामित्व की जमीन है। जिनके द्वारा विपक्षी को केवाला के माध्यम से विक्रय किया गया एवं दखल दिलाया गया है। उनका कहना है कि विपक्षी स्वयं के नाम से 10 धूर एवं अपने छोटे भाई के नाम से 10 धूर अर्थात कुल-01 कट्ठा जमीन (4.366 डी.) केवाला दस्तावेज संख्या-5541 तथा 5542 दिनांक-13.6.1992 द्वारा खरीद कर हकदार एवं दखलकार हुए। तथा जमाबंदी संख्या-3403 और 3404 उनके एवं उनके छोटे भाई शिवेन्द्र चौधरी के नाम से कायम हुआ। उनका कहना है कि प्रश्नगत जमीन खतियानी रैयत गंगा प्रसाद यादव का है। तथा प्रश्नगत जमीन उनके खतियानी रैयत के पुत्र सूर्यनारायण यादव द्वारा उन्हें केवाला के माध्यम से प्राप्त हुआ। तथा यह कि उक्त खरीदगी केवाला पर हिस्सेदार अरूण यादव का शिनाख्त के रूप में हस्ताक्षर मौजूद है। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा रैयती आधार के मानको का गहण अवलोकन एवं परीक्षण कर आदेश परित किया गया है। जो पूरी तरह से वैधानिक आदेश है। अतः तदनुसार उनके द्वारा इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमीन सूर्यनारायण यादव से केवाला के माध्यम से प्राप्त होने का दावा किया जा

01.3.2026

रहा है। जबकि अपीलार्थी का दावा है कि प्रश्नगत जमीन की खरीदगी विपक्षी द्वारा वैध खतियानी रैयत या उनके वारिसान से नहीं किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा उभय पक्ष के बीच वर्त्तमान विवाद के संदर्भ में विभाजन वाद सं.-76/2023 असैनिक न्यायालय, वरीय कोटि-1, मधेपुरा के न्यायालय में लंबित रहने का बिन्दु उठाया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका सं.-11424/2023 में दिनांक-29.4.2024को पारित आदेश के अनुसार भी वर्त्तमान विवाद का निस्तार Competent Civil Court के स्तर से किया जाना है। कागजातों के अवलोकन से यह भी दृष्टिगत है कि Civil Court में प्रश्नगत मामला लंबित रहने का बावजूद भी निम्न न्यायालय के स्तर से आदेश पारित किया गया है। जो विधिमान्य नहीं है।

अतः तदनुसार निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को खारिज करते हुए आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत जमीन पर सक्षम न्यायालय (Civil Court) के स्तर से Judgement/Decree विनिश्चित होने तक Status quo (राजस्व अभिलेख एवं सरजमीन पर) Maintain किया जाय।

उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

01/3/26.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

01/3/26.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।